



अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विभाजन एवं बी. एड. महाविद्यालय की आवश्यक भौतिक सुविधा का अध्ययन

MOHAN LAL

RESEARCH SCHOLAR

DR. ASHISH KUMAR TIWARI

SUPERVISOR

SHRI KRISHNA UNIVERSITY, CHHATARPUR (M.P.)

सार

शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय और निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है तथा उसके अनुरूप अपने कार्य एवं व्यवहार में बदलाव के द्वारा सीखता है। अध्यापक की महत्ता व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा भावी अध्यापकगण निहित कौशल तथा तकनीकों से परिचित हैं तथा अपेक्षित शिक्षण व्यवहारों को आत्मसात् करके शिक्षकोचित् गुणों में दक्ष हो सकते हैं। शिक्षण को उत्प्रेरक, निर्देशक व मार्गदर्शक प्रक्रिया मानते हुए कहा है कि – यह उत्प्रेरण, मार्ग दर्शन, निर्देशन तथा प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्रक्रिया है जो अधिगम दिष्ट है अर्थात् शिक्षण के माध्यम से अधिगम को उत्प्रेरित, निर्देशित, मार्गदर्शित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किया जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक यह मानकर चलते हैं कि शिक्षण तथा अधिगम दोनों परस्पर धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित प्रक्रिया है। यदि अधिगम नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षण का होना भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि सिखाने के उद्देश्य से ही शिक्षण कार्य किया जाता है।

कुंजीशब्द अध्यापक , शिक्षा , ऐतिहासिक , पृष्ठभूमि , भौतिक , सुविधा

परिचय

शिक्षा

मनुष्य क्षण—प्रतिक्षण नए—नए अनुभव प्राप्त करता है एवं अपने सहयोगियों से करवाता है जिससे उसका दिन—प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, पत्र—पत्रिकाओं, रेडियो,टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखने—सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा के व्यापक और विस्तृत रूप में आते हैं।

संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय और निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है तथा उसके अनुरूप अपने कार्य एवं व्यवहार में बदलाव के द्वारा सीखता है।



समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों व नीतिकारों के शिक्षा के सम्बन्ध में विचारों में से कुछ के अर्थ को समझने हेतु उनमें से कुछ मुख्य विचार निम्न लिखित प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

1. शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और उत्तम विकास से है। (डॉ० भीमराव अम्बेडकर)
2. मनुष्य की अन्तर्वासना पूर्णता को प्रकटित करना ही शिक्षा है। (डॉ० लवी गौतम)
3. शिक्षा व्यक्ति की उन सभी आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखते हुए अपने उद्देश्यों का निर्वाह कर सकता है। (डॉ० गौतम)
4. शिक्षा का व्यक्ति के समन्वयित विकास हेतु प्रशिक्षण का अर्थ अन्तः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। (हर्बर्ट स्पैन्सर)
5. शिक्षा मानव की सम्पूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। (पेस्टेलरी)
6. शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है तथा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय सम्पन्नता और भविष्य की कुंजी है। (डॉ० लवी गौतम)

शिक्षण कार्य समस्त कार्यों में पवित्रतम एवं परम आवश्यक कार्य माना जाता है। विद्यादान के समान कोई दूसरा दान नहीं है क्योंकि इसमें निर्विकार भाव से परहिताय कार्य निर्दिष्ट है। शिक्षण की प्रक्रिया निश्चय ही अध्यापक शिक्षा पर निर्भर है। अध्यापक की महत्ता व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा भावी अध्यापकगण निहित कौशल तथा तकनीकों से परिचित हो सकते हैं तथा अपेक्षित शिक्षण व्यवहारों को आत्मसात् करके शिक्षकोचित् गुणों में दक्ष हो सकते हैं। (भट्टाचार्य 2003)

बर्टन (1969) ने शिक्षण को उत्प्रक, निर्देशक व मार्गदर्शक प्रक्रिया मानते हुए कहा है कि – यह उत्प्रेरण, मार्ग दर्शन, निर्देशन तथा प्रोत्साहन से सम्बन्धित प्रक्रिया है जो अधिगम दिष्ट है अर्थात् शिक्षण के माध्यम से अधिगम को उत्प्रेरित, निर्देशित, मार्गदर्शित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किया जाता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक यह मानकर चलते हैं कि शिक्षण तथा अधिगम दोनों परस्पर धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित प्रक्रिया है। यदि अधिगम नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षण का होना भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि सिखाने के उद्देश्य से ही शिक्षण कार्य किया जाता है।

अध्यापक शिक्षा का महत्व— अध्यापक शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से— अध्यापक समाज में नेतृत्व का कार्य करता है वह समाज के लिए एक उदाहरण होता है और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण अध्यापक शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है।

1. अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ही विकासात्मक क्रियाओं में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर अधिगम कर्ताओं का सर्वांगीण विकास होता है।
2. अधिगमकर्ता को अध्यापक कला में दक्षता के साथ—साथ अध्यापन विधि व तकनीकी आदि का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक ज्ञान सम्भव होता है।



3. अध्यापक शिक्षा के माध्यम से अधिगमकर्ता व भावी अध्यापक में श्रम, समय की बचत कर सकने की तकनीकी का ज्ञान होता है।
4. अध्यापक शिक्षा के द्वारा भावी शिक्षकों के साथ ही साथ सेवा कालीन अध्यापक के अन्दर आत्मनिर्भरता व आत्म विश्वास की भावना का विकास होता है जिससे वे प्रस्तुतिकरण से लेकर मूल्यांकन तक का समय बखूबी निर्वहन कर सकते हैं।
5. उद्यमगत दक्षता के क्षेत्र में भी अध्यापक शिक्षा को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि एक शिक्षक जितने बेहतर तरीके से निर्देशन का कार्य कर सकता है। और सामने वाले शंकाओं व समस्याओं का समाधान कर सकता है सम्भवतः दूसरा कोई नहीं कर सकता।
6. अध्यापक एवं मार्गदर्शक व परामर्शदाता के रूप में व्यक्ति के शैक्षिक, व्यावसायिक व परामर्श दाता के रूप में व्यक्ति के शैक्षिक, व्यावसायिक, आदि सभी समस्याओं का निराकरण कर सकता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज आधुनिक युग में कार्य कुशल दक्ष, निपुण एवं जिम्मेदार भावी अध्यापक—अध्यापिकाओं के लिए अध्यापक शिक्षा को अति आवश्यक माना जाना अनुचित नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि आज के परिपेक्ष्य अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्ता दोनों ही सुनिश्चित है।

अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विभाजन— शिक्षा एक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा हम बालक की अन्तर्निहित शक्तियों को जागृत करते हैं तथा प्रेरित करते हैं। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति की भावनाएं उच्चस्तरीय स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जातिगत एवं धर्मगत संकीर्णताओं से उपर उठकर अपने आपको प्रदर्शित कर पाता है। शिक्षा ही व्यक्ति में ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करती है, जिसमें उसमें नये विचार तथा नयी क्षमता का प्रादुर्भाव हो जाता है और व्यक्ति को शिक्षित करने का कार्य एक प्रशिक्षित के द्वारा जैसा प्रभाव अपने छात्रों पर छोड़ता है, भावी शिक्षक अथवा एक सुसभ्य नागरिक भी अपने जीवन में उन शिक्षाओं तथा आर्दशों का अनुकरण करता है। अतः किसी भी देश के सुटूढ़ व सफल व्यवस्था को बनाने एवं उन्हें कायम रखने हेतु निश्चय ही अध्यापक शिक्षा की पूर्ण आवश्यकता है।

(क) प्राचीनकाल में अध्यापक शिक्षा— (इस काल की अवधि 2500 ई० पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं)

प्राचीन काल में चलने वाली शिक्षा गुरु शिष्य से सम्बन्धित शिक्षा थी। इस शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं इस युग में शिक्षा वैदिक ज्ञान से सम्बन्धित होने के कारण शिक्षक के रूप में विशेषतौर से ब्राह्मण वर्ग का ही अधिकार था। इस युग का मुख्य लक्ष्य अध्ययन अध्यापन ही रहा। अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित इस काल में कोई विशेष प्रमाण न मिलने से निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है। परन्तु शिक्षा गुरु की उत्तम सम्बन्धों पर ही आधारित था। गुरुकुल अथवा गुरु—गृह में रहकर अध्ययन करने वाला श्रेष्ठ व योग्य शिष्य ही गुरु के द्वारा आगे चलकर शिक्षण कार्य के लिए दायित्व को ग्रहण करने योग्य होता था। इस तरह अध्यापकीय परम्परा पीढ़ी—दर—पीढ़ी हस्तानतरित नहीं होती थी क्योंकि शिक्षण—प्रशिक्षण व श्रेष्ठता मूल्यांकन का अधिकार गुरु के हाथ में होता था। गुरु अपने शिष्यों को पुत्र के समक्ष ही मानता था। मूल्यांकन के दौरान अथवा पश्चात् गुरु उस शिष्य का विशेष ध्यान देते थे तथा उसे सम्पूर्ण ज्ञान दे देते थे। इस प्रकार शिक्षा कर्मणा निर्देशित थी। सम्भवतः यही कारण था कि गुरु द्वोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को



अपना योग्य शिष्य न चुनकर राजकुमार अर्जुन को योग्यतम् शिष्य माना एवं अपनी समस्त विद्याओं से विभूषित किया।

(ख) बौद्धकाल में शिक्षक शिक्षा— (इसकी अवधि 1501 ई. पूर्व से 1200 ई. तक मानते हैं) इस काल में शिक्षा धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित होने के कारण महात्मा बुद्ध की धार्मिक शिक्षाओं को प्रचारित— प्रसारित करने के लिए सम्भवतः योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

अतः सर्वप्रथम इस काल में औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा के लिये ही शिक्षकीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। जिसमें अनेक नैतिक व अनुशासित व्यवहार को शिक्षक के आचरण में अनिवार्य बनाया गया। इस काल में ही ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी वर्ग के योग्य व्यक्ति को भिक्षु (शिक्षक) योग्य जाना गया। योग्य व्यक्ति की सम्पूर्ण संस्कारों व विधाओं से पूर्ण होने के पश्चात् दो आचार्यों की देख-रेख में अध्यापन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी। कुछ के शिक्षाओं पर आधारित व तदनुरूप आचरण व्यवहार करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ही सक्षम भिक्षु के रूप में प्रचारक आचार्य की अनुमति दी जाती थी।

इस प्रकार यद्यपि बौद्धकाल में भी अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित प्रणाली का विशेष योगदान विद्यालयी या सामाजिक सन्दर्भ में नहीं था, फिर भी औपचारिक तौर पर अध्यापक प्रशिक्षण की आधार शिला के रूप में इसी काल को मान्यता दी जाती है।

(ग) मध्य काल अथवा इस्लाम काल में शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था (1201 ई. से 1700 ई. तक) —

1200 ई. से 1700 ई. की अवधि को मध्य काल के रूप में माना जाता है। इस अवधि को मूल रूप से मुस्लिम काल के रूप में माना गया है। इस काल में शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक स्वरूप में थी जिसमें कुरान के उपदेशों व धर्म प्रचार-प्रसार को ही महत्व दिया जाता था। इस काल में शिक्षा को सर्व साधारण के पास तक पहुँचाने पर जोर इस लिये दिया जाता था कि शैक्षिक संस्थानों के मौलियों के द्वारा उनके घर का उपदेश लोगों तक पहुँच सके !

अतः इस तरह की मनसा होने के कारण ही सम्भवतः इस काल में अध्यापक पर कोई प्रभाव नहीं था। मौलियों (मुस्लिम शिक्षकों) की नियुक्ति तो अवश्य की जाती थी किन्तु उन्हें प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी वरन् स्थानीय अरबी शिक्षित मात्र व्यक्तियों को मकतब व मुकलिसों (प्राइमरीत तथा माध्यमिक स्तर पर) में नियुक्त कर दिया जाता था वहीं उच्च शिक्षित एवं अरब देशों के मौलियों को बुलाकर मौलियी पर आसीन कर दिया जाता था।

इस काल में संगीत, कला, साहित्य एवं चिकित्सा जैसे विषयों को प्रधानता तो दी जाती थी किन्तु उपर्युक्त शिक्षण संस्थानों का सर्वथा अभाव था।

मुस्लिम कालीन शासकों के पतन के साथ ही अर्वाचीन या आधुनिक काल का आरम्भ होता है। जिसके कारण भारतीय समाज में राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक उथल-पुथल अत्यधिक शुरू हो गया था।

आधुनिक अथवा अर्वाचीन काल या पूर्व स्वातन्त्र काल में अध्यापक शिक्षा —इसे दो भागों में विभक्त करते हैं



1. ब्रिटिश काल

2. पूर्वस्वतन्त्र

(अ) ब्रिटिशकाल – इस काल अवधि को हम दो चरणों में विभक्त करते हैं–

- प्रथम – 1700ई0 से लेकर 1850ई0 तक
- द्वितीय— 1851ई0 से लेकर 1947ई0 तक

आधुनिक या अर्वाचीन काल को ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता है। दरअसल जिस किसी ने भी किसी भी उद्देश्य से भारत में शरण ली हो धीरे धीरे उसकी मानसिकता व उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना व जन साधारण को अपने धर्मानुयायियों के माध्यम से भ्रमित करके अपने धर्म के आधार पर बिट्रिश शिक्षा प्रणाली के आधार पर अंग्रेजी प्रधान शिक्षा को लागू किया गया। इन्होंने भी इसाई धर्म गुरुओं के द्वारा अंग्रेजी अपने पवित्र धर्म ग्रन्थ बाइबिल की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया तथा भारत के अज्ञानियों के उद्घार का हवाला देते हुए अपने धर्म के अनुयायी बना सके, ऐसा प्रयत्न करने लगे।

पहले चरण में भारत में विदेशी शिक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिए प्रयत्न किया जाता रहा धर्म प्रचारकों के अलावा शासकीय तौर पर विशेष ध्यान न दिये जाने के कारण पारस्परिक पाठशालाएं चलती रहीं। हम गुरु कार्य भार को कम करने हेतु औपचारिक तौर पर योग्य छात्रों को शिक्षण के लिए अग्रणी प्रणाली को कार्य व्यवहार में लाया गया था। (भट्टाचार्य 2003)

अध्ययन के उद्देश्य

1. आधुनिक अथवा अर्वाचीन काल या पूर्व स्वातन्त्र काल में अध्यापक शिक्षा का अध्ययन
2. पुस्तकालय में संकाय तथा प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग का अध्ययन

स्वातन्त्र्योत्तर काल में अध्यापक शिक्षा— (1947 से निरन्तर आज तक)—

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान के अनुसार शिक्षा के सार्वभौमिक करण पर बल दिया गया एवं सरकार ने अपना प्रथम कर्तव्य शिक्षा में परिमार्जनात्मक बुद्धि के साथ सबको शिक्षित करना माना, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को पूर्णरूप से शिक्षित करना तथा शिक्षा में गुणात्मक विकास करना। क्योंकि शिक्षा की उपयोगिता केवल परीक्षाएं पास करना और उसके आधार पर कहीं नौकरी प्राप्त करना या पदोन्नति करने तक ही सीमित नहीं रह गया है। जनसंख्या वृद्धि ने शिक्षा के औपचारिक स्थान, शिक्षा संस्थाओं में उपाधि प्राप्त करने वालों के प्रवेश की समस्या को जहाँ अत्यन्त गम्भीर बना दिया है, वहीं समाज के एक वर्ग को सभी दृष्टियों से उपेक्षित करके बाकी सबके लिये प्रवेश की समान अर्हता घोषित करके शिक्षा से वंचित कर दिया गया है जिसका परिणाम है कि शिक्षा प्रभावशाली वर्ग तक ही सीमित होती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र एवं शिक्षक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगे। शिक्षक प्रशिक्षक की आवश्यकता का सर्वत्र ही अनुभव किया जाने लगा।



1948 में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जिसकी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत हुआ जिसके विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ ही साथ शिक्षक प्रशिक्षक की दिशा में भी कई संस्तुतियाँ की गयीं—

1. प्रशिक्षण महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार संरचित किया जाय।
2. अभ्यास हेतु उपयुक्त विद्यालय का चयन।
3. सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित करना।
4. प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षक को ही एम. एड. में एडमिशन दिया जाय।
5. शिक्षकों के मूल कार्यों को महत्व व हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के निम्न स्तर में सुधार किया जाय।
6. भविष्य में अच्छे शिक्षक उपलब्ध हो सके इसलिए उनके वेतन में उपयुक्त सुधार हो। (पाठक)

डॉ. ए. एल मुदलियर की अध्यक्षता में 1952 में भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1953 में जिसकी संस्तुति में दो प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान की बात कही गयी जिसमें पहला उच्चतर माध्यमिक स्तर पर तथा दूसरा स्नातक स्तर के शिक्षकों प्रशिक्षित करने के लिए।

भारत में मुख्यतः निम्न प्रकार के अध्यापक शिक्षण संस्थान हैं—

(ब) 1 प्री प्राइमरी या नर्सरी हेतु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान—

यह संस्थान विभिन्न प्रकार के नर्सरी स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करने हेतु एक से दो वर्ष के पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं तथा किंडर गार्डन मांटेसरी या मिली जुली शिक्षा प्रणाली के लिए अध्यापक तैयार करते हैं। ऐसी संस्थाएं बहुत कम हैं और किसी निश्चित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से सम्बद्ध नहीं है। प्राथमिक स्कूलों के लिए ये अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं प्रदेश के शैक्षिक विकास के अनुरूप प्रायः दसवीं या बारहवीं पास विद्यार्थियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। ये संस्थाएं निजी संगठनों द्वारा तथा सरकार द्वारा चलाई जाती हैं तथा राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षणार्थियों के आध्यापन हेतु प्रमाण—पत्र प्रदान करती है।

(ब) 2 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान—

ये महाविद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक तैयार करते हैं तथा इन विद्यालयों के अधिकांश अध्यापक इन्हीं प्रशिक्षण संस्थाओं से आते हैं। कुछ महाविद्यालयों के साथ भी शिक्षा विभाग सम्बद्ध रहता है जो कि अध्यापक प्रशिक्षण का काय करती है। विश्वविद्यालयों का शिक्षा विभाग भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये अध्यापक तैयार करता है। प्रशिक्षण की अवधि प्रायः 1 वर्ष होती है। तथा सफल प्रशिक्षणार्थियों को बी.टी., बी. एड. या एल. टी. की डिग्री प्रदान की जाती है। अनेक महाविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षा विभागों में शिक्षा में उच्चतर उपाधियाँ पाने और शोध करने की व्यवस्था रहती है। जिसमें एम. ए. एम. फिल. या पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करते हैं।

(ब) 3 विशेष शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण संस्थान—



ये संस्थान विशेष प्रकार के अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य करते हैं जिनमें फिजिकल एजुकेशन कला-शिल्प भाषा शिक्षण तथा अपंग या विशिष्ट बालकों को शिक्षण हेतु प्रशिक्षण विशेष उल्लेखनीय है। संस्थाओं में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, केन्द्रीय आंगं भाषा संस्थान, तथा संस्कृत शिक्षण संस्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(ब) 4 रीजनल कॉलेजेज आफ एजुकेशन-

इस प्रकार के संस्थाओं की संख्या चार है और इनकी स्थापना एन. सी ई. आर. टी. में अध्यापक प्रशिक्षण के आदर्श संस्थाओं के रूप में की गयी है। ये रीजनल कालेज चार वर्ष की अवधि वाले विषय वस्तु एवं प्रशिक्षण प्रणाली के मिले-जुले पाठ्यक्रम को अध्यापक प्रशिक्षण के लिये चलाते हैं। इनमें लागू विषय, आटर्स, साइंस, कार्मर्स और टेक्नालॉजी संबंधित विषयों की शिक्षण विधि पढ़ाई जाती है। सफल विद्यार्थियों को उस विश्वविद्यालय द्वारा जिससे कॉलेज सम्बद्ध है, स्नातक की तथा उन विषयों में स्नातक की डिग्री दी जाती है जो अन्य छात्रों के लिये नियत होते हैं। ये रीजनल कॉलेज भोपाल अजमेर मैसूर तथा भुवनेश्वर में स्थित हैं।

बी. एड. महाविद्यालय या विभाग के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं-

संस्थान के पास कम से कम 2500 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से क्लासरूमों आदि सहित कम से कम 1500 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फूट स्थान होना चाहिए।

बी.एड. कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा-

- केवल बी. एड. -1500 वर्गमीटर
- बी. एड. तथा एम. एड. -2000 वर्गमीटर
- बी. एड. तथा डी.एड. -2500 वर्गमीटर
- बी. एड., डी. एड. तथा एम.एड. - 3000 वर्गमीटर

दाखिल किये जान वाले 100 छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिये कम से कम दो अध्ययन कक्ष एक बहुदेशीय हाल, अनुदेशनात्मक, क्रिया कलाप, करने के लिये तीन प्रयोगशालाओं संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक संसाधन कक्ष प्रिंसीपल संकायसदस्यों, कार्यालय और प्रशासनिक स्टाफ के लिए अलग-अलग कमरें और एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों प्रयोगशालाओं पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कमरें। एक क्लासरूम में 50 छात्र - अध्यापकों के आराम से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुदेशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए। दाखिल किये जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए क्लासरूमों ट्यूटोरियल कक्षों आदि की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि की जायेगी।

खेल कूद के मैदान सहित खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विकल्प के रूप में सम्बद्ध स्कूल / कालेज के खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है। और जहाँ महानगरों पहाड़ी क्षेत्रों में स्थान की कमी हो वहाँ योगा, छोटे मैदान तथा इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है।

1. भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।



2. संस्थान का परिसर भवन, फर्नीचर आदि बाधा मुक्त होना चाहिए।
3. लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग—अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वाटर वांछनीय हैं।

शिक्षणात्मक सुविधाएं—

(क) संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापों के निर्मित समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय सुलभ होने चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जायेगी बेहतर होगा कि संस्थान के पास उसके नियंत्रण में एक सम्बद्ध स्कूल मौजूद हो।

(ख) कम से कम 25: छात्रों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए 1000 टाइटल तथा संगत पाठ्य तथा सन्दर्भ पुस्तकों शैक्षिक विश्वकोशों, शब्द कोशों इलेक्ट्रिक प्रकाशनों (सी०डी०रोम) सहित कम से कम 3000 पुस्तकों तथा अध्यापक शिक्षा की कम से कम पाँच पत्रिकायें तथा सम्बद्ध विषयों में अन्य पाँच पत्रिकाएं मँगाएं। पुस्तकालय के संग्रह प्रति वर्ष 200 पुस्तकें शामिल की जायेगी। पुस्तकालय में संकाय तथा प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटो कापी सुविध और इंटरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ग) संस्थान में एक विज्ञान प्रयोगशाला होगी। इस प्रयोगशाला में माध्यमिक / उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोग करने और उनका निर्दर्शन करने के लिए आवश्यक विज्ञान उपकरणों के एकाधिक सेट उपलब्ध कराये जायेंगे।

(घ) संस्थान में शैक्षिक मनोविज्ञान से जुड़े साधारण प्रयोग के लिए उपकरण सहित एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी।

(ङ.) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर और साप्टवेयर सुविधाएं रहेंगे।

(च) कम्प्यूटरों, टी०बी०, कैमरा सहित हार्डवेयर और साप्टवेयर से युक्त शैक्षिक प्रौद्योगिकी सुविधाएं होंगी।

(छ) बेहतर हो कि रौट (रिसीब्ड ऑनली टर्मिनल) सिट (सेटेलाइट इंटरलिंकिंग टर्मिनल) आदि जैसे आई सी० डी० उपकरण उपलब्ध रहे।

(ज) एक पूर्णतः सुसज्जित कार्य अनुभव कक्ष होगा।

सामाजिक बुद्धि

कम से कम 1920 के दशक से ही मनोवैज्ञानिक लंबे समय से सामाजिक बुद्धिमत्ता में रुचि रखते रहे हैं। यह रुचि एक शक्तिशाली अंतर्ज्ञान में निहित है कि मानवीय क्षमताओं के कई शैक्षिक—प्रासंगिक पहलू हैं जो शैक्षणिक बुद्धि की पारंपरिक अवधारणाओं (कीटिंग, 1978) के हिसाब से नहीं हैं।

थार्नडाइक (1920), इस शब्द ने व्यक्ति की अन्य लोगों को समझने और प्रबंधित करने और अनकूली सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित किया। हाल ही में, हालांकि, कैंटर एंड



किहलस्ट्रॉम (1987) ने सामाजिक दुनिया के बारे में व्यक्ति के ज्ञान के कोष को संदर्भित करने के लिए सामाजिक बुद्धि को फिर से परिभाषित किया।

सामाजिक बुद्धिमत्ता सतर्क विश्वास के माध्यम से उन रिश्तों की लागतों को बनाने, बनाए रखने और प्रबंधित करने की कला है। यह एक शर्म फजीश के रूप में विश्वास नहीं है, बल्कि आपसी अपेक्षाओं और एक साझा समझ के ढांचे के भीतर स्थापित विश्वास है कि प्रत्येक दूसरे पर नजर रखेगा।

सामाजिक बुद्धि अन्य लोगों को पढ़ने और उनके इरादों और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता को संदर्भित करती है। इस बुद्धि वाले लोग आमतौर पर दूसरे क्या कहते हैं और वास्तव में उनका क्या मतलब है, के बीच के अंतर से जुड़े होते हैं। परिणामस्वरूप, सामाजिक रूप से बुद्धिमान लोगों पर कभी—कभी दिमागी पाठक होने का आरोप लगाया जा सकता है। जो लोग इस प्रकार की बुद्धि का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं वे निपुण संवादी हो सकते हैं। यह उत्कृष्ट सुनने के कौशल और दूसरों को सार्थक रूप से संलग्न करने की क्षमता के संयोजन के कारण हो सकता है। जा लोग सामाजिक रूप से बुद्धिमान होते हैं वे आम तौर पर अपने आस—पास के लोगों को सहज और शामिल महसूस करा सकते हैं। उन्हें तरह—तरह के लोगों से बातचीत करना भी अच्छा लगता है।

निष्कर्ष

शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय और निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है तथा उसके अनुरूप अपने कार्य एवं व्यवहार में बदलाव के द्वारा सीखता है। शिक्षा ही व्यक्ति में ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करती है, जिसमें उसमें नये विचार तथा नयी क्षमता का प्रादुर्भाव हो जाता है और व्यक्ति को शिक्षित करने का कार्य एक प्रशिक्षित के द्वारा जैसा प्रभाव अपने छात्रों पर छोड़ता है, भावी शिक्षक अथवा एक सुसम्बन्ध नागरिक भी अपने जीवन में उन शिक्षाओं तथा आदर्शों का अनुकरण करता है। अतः किसी भी देश के सुदृढ़ व सफल व्यवस्था को बनाने एवं उन्हें कायम रखने हेतु निश्चय ही अध्यापक शिक्षा की पूर्ण आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

- [1] ए. बुड, एल एम०. उपलब्धि: भावनात्मक बुद्धिमत्ता मायने रखती है। (7), 1321–1330।
- [2] खालिद एस० इरशाद एमजेड और महमूद बी (2012) शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच नौकरी की संतुष्टि पंजाब पाकिस्तान के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण, इटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एण्ड मैनेजमेंट, 7(1)–1
- [3] कोबन, बी, करिदिमीर, टी. एकक, एम० और देवेसी ओलु एस (2010) एक विशेष क्षमता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की भावनात्मक बुद्धि सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व: एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, 38 (8) 1123–1134।
- [4] कोरकोरन, आर पी०, और टॉर्मी, आर (2012) पूर्व सेवा शिक्षक कितने भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है? शिक्षण और शिक्षक शिक्षा, 28 (5) 750–759।



- [5] कोस्टा, ए. और फारिया, एल (2015) शैक्षणिक उपलब्धि पर भावनात्मक खुफिया का प्रभाव: पुर्तगाली माध्यमिक विद्यालय में एक अनुदैर्घ्य अध्ययन, सीखने और व्यक्तिगत अंतर, 37, 38–47।
- [6] कोवेलेलियोस, ए और सिगिलिस एन (2005) शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के बीच तनाव और नौकरी की संतुष्टि के बीच संबंध एक बहुभिन्नरूपी द्रष्टिकोण, यूरोपीय शारीरिक शिक्षा की समीक्षा 11.2 (2005) 1892031
- [7] कुरावले एमवी, गडकरी जेवी० भारतीय जे फिजिकल फार्माकोल – 2014 जुलाई– सितम्बर 58 (3) पीपी–10।
- [8] केली बी०, लॉन्गबॉटम, जे पॉट्स, एफ० और विलियमसन, ज० (2004) भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लागू करनारू वैकल्पिक सोच रणनीतियों के पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना, अभ्यास में शैक्षिक मनोविज्ञान, 20 (3) 221–240।
- [9] मंसिर, एफ० और करीम, ए (2020) डिजिटल युग में छात्रों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आकार देने में इस्लामी शिक्षा सीखने का तरीका हेउलारू इंडोनेशियन जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इस्लामिक स्टडीज़, 4(1), 67–86।
- [10] महबूब एफ सरवर एम ए और भुटटो एन ए (2012) संकाय सदस्यों के बीच नौकरी की संतुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक एशियन जर्नल ऑफ बिजनेस एक मैनेजमेंट साइंसेज 1(12), 1–9।
- [11] मोरा, एम, और बायोलिक—मोरो, एम (2020) पोलैंड में ब्टप्स—19 महामारी के प्रकोप के दौरान भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक अनुभवरू एक दैनिक डायरी का अध्ययन, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अंतर 168, 1103481.
- [12] मेयर, बी बी और फलेचर, टी बी (2007) भावनात्मक बुद्धि एक सैद्धांतिक अवलोकन और खेल मनोविज्ञान में अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास के लिए निहितार्थ जर्नल ऑफ एप्लाइड स्पोर्ट साइकोलॉजी, 19 (1).1–151